



Neutral Citation No. – 2026:AHC: 71171

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या – 40372 वर्ष 2025

मुहम्मद अली और 2 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी, संजय कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या – 76

माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1. आवेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद नौशाद सिद्दीकी तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 528 के अंतर्गत आवेदकों द्वारा आपराधिक मुकदमा संख्या 1994 सन् 2021, जो मुकदमा अपराध संख्या 445 सन् 2019 से उत्पन्न हुआ है, धारा 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर के अंतर्गत, की संपूर्ण कार्यवाही तथा दिनांक 17.02.2021 के संज्ञान/समन आदेश, जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के न्यायालय में लंबित है, को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 27.07.2019 को संबंधित राजस्व निरीक्षक/प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 445 सन् 2019 की प्रथम सूचना रिपोर्ट आवेदकों के विरुद्ध इस आरोप के साथ दर्ज कराई गई कि आवेदकों ने ग्राम सभा की भूमि, अर्थात् गाटा संख्या 880सा/0.0020, के कुछ भाग पर चारदीवारी का निर्माण कर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। इस प्रकार आवेदकों द्वारा ग्राम सभा में निहित भूमि, जो सार्वजनिक संपत्ति है, को क्षति एवं हानि पहुंचाई गई। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात आवेदकों तथा अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया और आवेदकों के विरुद्ध संज्ञान लिया गया।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने आरोप-पत्र तथा संज्ञान/समन आदेश को कई आधारों पर चुनौती दी है, जिनमें मुख्यतः यह आधार लिया गया है कि लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984 के प्रावधानों का सहारा लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग मात्र है, क्योंकि उक्त प्रावधान ग्राम सभा की भूमि को हुई क्षति अथवा हानि के आरोप के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए लागू

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नहीं किए जा सकते। यह भी तर्क दिया गया है कि संज्ञान आदेश न्यायिक विवेक के प्रयोग के बिना पारित किया गया है।

5. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत अनधिकृत कब्जाधारी को बेदखल करने की कोई कार्यवाही प्रारंभ किए बिना तथा सार्वजनिक संपत्ति को हुई किसी क्षति का आकलन किए बिना दर्ज की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त शौकत एवं अशरफ के विरुद्ध कार्यवाही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 528 बी.एन.एस.एस. संख्या 15404 सन् 2025 में दिनांक 12.05.2025 के निर्णय द्वारा निरस्त की जा चुकी है।
6. **इसके विपरीत**, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने वर्तमान याचिका के माध्यम से मांगी गई प्रार्थना का जोरदार विरोध किया, किंतु आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए उपर्युक्त तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
7. संपूर्ण अभिलेख पर विचार करने के पश्चात यह विधिक प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ किए बिना सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की जा सकती है।
8. वर्तमान मुद्दे पर विचार करते समय उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के प्रावधानों का पुनः उल्लेख करना उचित होगा। सुविधा के लिए इसे निम्न प्रकार उद्धृत किया जाता है—

“67. ग्राम पंचायत की संपत्ति को क्षति, दुर्विनियोग और सदोष कब्जे से रोकने की शक्ति—

(1) जहाँ इस संहिता के प्रावधानों के अधीन किसी ग्राम पंचायत या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को सौंपी गई अथवा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सौंपी गई मानी गई किसी संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई हो या उसका दुर्विनियोग किया गया हो, अथवा जहाँ किसी ग्राम पंचायत या अन्य प्राधिकारी को इस संहिता के प्रावधानों के अधीन किसी भूमि पर कब्जा लेने का अधिकार हो और ऐसी भूमि पर उक्त प्रावधानों के विपरीत कब्जा किया गया हो, वहाँ भूमि प्रबंधक समिति या अन्य प्राधिकारी अथवा संबंधित लेखपाल, जैसा भी मामला हो, निर्धारित रीति से संबंधित [सहायक कलेक्टर] को सूचित करेगा।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन प्राप्त सूचना से अथवा अन्यथा [सहायक कलेक्टर] इस बात से संतुष्ट हो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी संपत्ति को क्षति पहुँचाई गई है या उसका दुर्विनियोग किया गया है अथवा कोई व्यक्ति उक्त उपधारा में निर्दिष्ट किसी भूमि पर इस संहिता के प्रावधानों के उल्लंघन में कब्जा किए हुए है, तो वह संबंधित व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि नोटिस में निर्दिष्ट राशि, जो क्षति, दुर्विनियोग या सदोष कब्जे के लिए वसूल की जाने वाली प्रतिपूर्ति की अधिकतम राशि होगी, उससे क्यों न वसूल की जाए और उसे ऐसी भूमि से क्यों न बेदखल किया जाए।

(3) यदि जिस व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, वह निर्दिष्ट समय के भीतर अथवा [सहायक कलेक्टर] द्वारा इस संबंध में प्रदान किए गए विस्तारित समय के भीतर कारण बताने में असफल रहता है, अथवा प्रस्तुत कारण अपर्याप्त पाया जाता है, तो [सहायक कलेक्टर] निर्देश दे सकता है कि ऐसे व्यक्ति को भूमि से बेदखल किया जाए और इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बल का प्रयोग किया जाए अथवा करवाया जाए तथा यह निर्देश दे सकता है कि संपत्ति की क्षति या दुर्विनियोग अथवा सदोष कब्जे के लिए प्रतिपूर्ति की राशि भू-राजस्व के बकाये के रूप में ऐसे व्यक्ति से वसूल की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(4) यदि [सहायक कलेक्टर] की राय में कारण बताने वाला व्यक्ति उपधारा (2) के अधीन नोटिस में उल्लिखित क्षति, दुर्विनियोग या सदोष कब्जे के लिए दोषी नहीं है, तो वह नोटिस का निस्तारण कर देगा।

(5) उपधारा (3) या उपधारा (4) के अंतर्गत [सहायक कलेक्टर] द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर कलेक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

(6) इस संहिता के किसी अन्य प्रावधान में निहित किसी बात के होते हुए भी तथा इस धारा के प्रावधानों के अधीन, इस धारा के अंतर्गत [सहायक कलेक्टर] का प्रत्येक आदेश, उपधारा (5) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा।

(7) इस धारा के अंतर्गत की जाने वाली किसी कार्यवाही में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी निर्धारित की जाए।”

9. दिनांक 17.02.2021 का संज्ञान/समन आदेश विधि की पूर्णतः अनदेखी करते हुए पारित किया गया है।

न्यायालय की राय में आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उक्त कार्यवाही को निरस्त किया जाना आवश्यक है।

10. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 23.08.2019 का आरोप-पत्र तथा दिनांक 17.02.2021 का संज्ञान/समन आदेश, जो केस संख्या 1994 सन् 2021, मुकदमा अपराध संख्या 445 सन् 2019 से उत्पन्न, धारा 2/3 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 1984, थाना कोतवाली, जनपद गाजीपुर के अंतर्गत पारित किया गया है, तथा उक्त मामले की संपूर्ण

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आपराधिक कार्यवाही, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गाजीपुर के न्यायालय में लंबित है, एतद्द्वारा
निरस्त की जाती है।

11. तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।

30 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति संजय कुमार पचौरी)

टी. सिन्हा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”